

1.	विभाग	उद्यान विभाग
2.	योजना का नाम	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्राप(माइक्रोइरीगेशन)
3.	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	भू-जल संचयन की दृष्टि से बागवानी एवं कृषि फसलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के अधिकाधिक उपयोग हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू है जिसके उपघटक "पर ड्रॉप मोर क्राप" के अधीन माइक्रोइरीगेशन कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। यह योजना मेरठ मण्डल के समस्त जनपदों(मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, हापुड, गौतमबुद्धनगर तथा बागपत) में संचालित है। इस योजना में बागवानी, कृषि एवं गन्ना फसल सम्मिलित है। प्रदेश सरकार द्वारा लघु सीमान्त कृषकों को इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
4.	पात्रता की अर्हता	1.डी0बी0टी0 अन्तर्गत संचालित योजना 2.स्वयं की भूमि हो। 3.सिंचाई का साधन हो। 4.अनुदान के अतिरिक्त व्यय करने में सक्षम हो। 5.पहले आओ पहले पाओ।
5.	आवेदन की प्रक्रिया	समस्त अभिलेखानुसार डी0बी0टी0 के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन द्वारा
6.	लिंक वेबसाइट	http://upagriculture.com/Default.aspx
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी अथवा उप निदेशक, उद्यान, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।